आदेश का क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

04.7.2020

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 108/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता श्री यदुनन्दन पाठक, पिता–जय करण पाठक, ग्राम–अनुआँ, थाना–करपी, अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
–	52	03 डी०	उतर–कुबेरदत पाठक दक्षिण–गंगा दयाल सिंह पूरब–त्रिवेणी सिंह पश्चिम–रामचन्द्र पाठक

मौजा–अनुआँ, थाना–करपी, थाना नं०–235, अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 838 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी राजेन्द्र मिश्र का नोटिस तामिला सामुदायिक भवन पर साट दिया गया एवं वर्तमान कब्जाधारी राजेन्द्र मिश्र से संबंधित नोटिस राजेन्द्र मिश्र के पत्नी माण्डवी देवी द्वारा नोटिस तामिला प्राप्त किया गया। भूदाता एवं कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित नही हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है। गया प्रसाद सिंह का गवाह में हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा प्रस्तावित भूमि दिनांक 09.08.1953 में दान पत्र के माध्यम से दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, सोन भद्र वंशी सूर्यपूर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खाता संख्या–377, खेसरा संख्या–52, रकवा–03 डी० शिव करण पाठक, पिता–स्व० लक्ष्मण पाठक के नाम पर खतियान दर्ज है जिसका कुल रकवा–04 डी० है। खतियानी रैयत भूदाता का भतीजा है। इस खाता का जमाबंदी नही है। राजेन्द्र मिश्र वर्तमान में कब्जाधारी है। वर्तमान कब्जाधारी भूदाता का नाती है। वर्तमान में भूमि पर शांति पूर्वक कृशि कार्य किया जा रहा है।

भूदान वितरण जॉच आयोग, (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है लेकिन खाता संख्या अंकित नही है वैसे दान पत्र जिसमें खेसरा संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है में भूमि सुधार उप समाहर्ता संपुष्टि की कार्यवाई करेगे क्योंकि इस प्रकार के दान पत्रों में अंकित जमीन के विस्तृत विवरण के आधार पर जमीन का चिन्हित किया जाना संभव है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में प्रस्तावित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 (5) के आलोक में संपुश्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह– अरवल एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

04.7.2024

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

04.7.2024

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।